न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 60 / 2023

अनवान : –

1. योगेन्द्र पुत्र राजाराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता शर्मिला रानी पत्नी राजाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. मनीषा पुत्री राजाराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता शर्मिला रानी पत्नी राजाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. राजाराम पुत्र मगनाराम जाति खाती निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
3. पंजीयक कार्यलय खुंईया तहसील नोहर।
4. मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 07/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 5 / 172 के खसरा नं. 422 / 1 का कुल क्षेत्रफल 4.8702 है० भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूनि व खाता संख्या 203 / 178 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 24.2880 है० भूमि में से 1 / 15 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है हैं यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 5 / 172 के खसरा नं. 422 / 1 का कुल क्षेत्रफल 4.8702 है० भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 203 / 178 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 24.2880 है० भूमि में से 1 / 15 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायलान द्वारा जरिये माता यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है शर्मिला की शादी उत्तरदाता संख्या 1 के साथ दिनांक 23.03.2014 को हुई थी एवं दिनांक 26.05.2014 को सायलान की माता शर्मिला रात्री के करीबन 11:12 बजे घर से गायब हो गई एवं सायलान की माता की गुमशुदा की रिपोर्ट अप्रार्थी स0 1 द्वारा पुलिस थाना नोहर मे दर्ज करवायी गयी। सायला की माता की तलाश की गई तो पता चला की सायला की माता द्वारा नाम बदलकर उर्मिला रखकर सोनड़ी में तीसरी शादी कर ली एवं सायलान की माता अपने पुत्रों के साथ वर्तमान में सोनड़ी मे रहती है अप्रार्थी स0 1 रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का जन्मजात हक हिस्सा है क्योंकि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी स0 1 के वारिस ही नही है क्योंकि प्रार्थीगण की माता की अप्रार्थी 1 के साथ दिनांक 23.03.2014 को हुई थी एवं दिनांक 26.05.2014 को सायलान की माता शर्मिला रात्री के करीबन 11:12 बजे घर से गायब हो गई एवं सायलान की माता की गुमशुदा की रिपोर्ट अप्रार्थी स0 1 द्वारा पुलिस थाना नोहर मे दर्ज करवायी गयी यानि की अप्रार्थी की पत्नी एवं सायलान की माता दिनांक 26.05.2014 के बाद अप्रार्थी स0 1 के साथ नही रही है इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थी स0 1 के वारिस कैसे हुए जबकि पत्रावली में प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम राजाराम दर्ज है एवं उक्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा है या नही का निर्धारण मूल वाद मे तय होना है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थीगण को [illegible] अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 वि[illegible] है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में [illegible] हिस्सा है या नही का निर्धारिण मूल वाद में तय होना है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 5/172 के खसरा नं. 422/1 का कुल क्षेत्रफल 4.8702 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा भूनि व खाता संख्या 203/178 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 24.2880 है० भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 07/11/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested